ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)
चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110066

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को मिशन निदेशालय के रूप में नामित किया गया है। मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, बीईई द्वारा परियोजना के लिए स्वीकृत उप महानिदेशक (वित्त) के एक (01) पद के लिए प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

पद के लिए वेतनमान : पे मैट्रिक्स का स्तर 14 (₹144200–218200) (पूर्व संशोधित पीबी–4, ₹37400–67000 + ग्रेड पे ₹10,000 सहित)

पात्रता: केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या विश्वविद्यालयों, या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, या स्वायत्त या सांविधिक संगठन के अधिकारी जो (i) नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हैं या (ii) पे मैट्रिक्स के स्तर–13 (₹123100–215900) (ग्रेड पे ₹8700 सहित पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी–4, ₹37400–67000) में तीन वर्षों की सेवा या समकक्ष अधिकारी जो अपेक्षित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं।

तैनाती का स्थान : चुने गए प्रत्याशी को दिल्ली में तैनात किया जाएगा।

शैक्षिक अर्हता, आयु, अनुभव, नौकरी की आवश्यकताओं आदि के विवरण के लिए कृपया **www.beeindia.gov.in** पर लॉगिन करें। दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन, रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर सचिव, बीईई के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।

सचिव

स्वयं और राष्ट्र के हित में ऊर्जा बचाएं

रिक्ति परिपत्र

सं. 02/03/डीडीजी/प्रशा.–2020/ 29 दिसम्बर 2023

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (नीति आयोग, नई दिल्ली सहित)

विषय: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, (बीईई) में प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालिक संविदा के आधार पर उप महानिदेशक (वित्त) के 01 पद को भरने के संबंध में।

महोदय,

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को मिशन निदेशालय के रूप में नामित किया गया है। मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, बीईई द्वारा परियोजना के लिए पे मैट्रिक्स के स्तर 14 (₹144200–218200) में स्वीकृत उप महानिदेशक (वित्त) के एक (01) पद के लिए प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

उप महानिदेशक (वित्त) के पद के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं :

(क) केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या विश्वविद्यालयों, या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी : –

(i) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट, मूल संवर्ग या विभाग या संगठनों में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत; या

(ii) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट मूल संवर्ग या विभाग या संगठनों में पे मैट्रिक्स के स्तर–13 (₹123100–215900) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में प्रदान की गई तीन वर्ष की सेवा के साथ (ग्रेड पे ₹ 8700 सहित पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी–4, ₹37400–67000) या समकक्ष; तथा

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों :

अनिवार्य –

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या वित्त विशेषज्ञता या औद्योगिक अर्थशास्त्र या ऊर्जा आयोजना और अर्थशास्त्र के साथ व्यवसाय प्रबंधन (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) में मास्टर डिग्री।

(ii) सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या वित्तीय संस्थानों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों में वित्तीय मामलों या औद्योगिक वित्तपोषण गतिविधियों में न्यूनतम सोलह (16) वर्ष का अनुभव।

वांछनीय .

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या व्यवसाय या औद्योगिक अर्थशास्त्र या ऊर्जा आयोजना और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री; या

(ii) वित्तीय लिखतों को संभालने वाले संस्थानों या संगठनों में काम करने का अनुभव।

(iii) ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ऊर्जा संबंधी मामलों और सरकार की नीतियों का समग्र परिप्रेक्ष्य रखने वाले और देश में ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण को बढावा देने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iv) अनिवार्य योग्यता के तहत उपर्युक्त (ii) में निर्दिष्ट 16 वर्षों के अनुभव में से ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण या वित्तपोषण तंत्र के विकास या संवर्धन और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए नवीन वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए दो (2) वर्षों का वरिष्ठ स्तर पर अनुभव होना चाहिए।

2. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष तथा अल्पकालिक संविदा के मामले में 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. केन्द्र सरकार के उसी संगठन या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी। चुने गए प्रत्याशी को दिल्ली में तैनात किया जाएगा। हालाँकि उन्हें भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

4. प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए चुने गए अधिकारी को, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए विद्यमान निर्देशों के अनुसार, वेतन/प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता पाने का अधिकार होगा।

5. पात्र और इच्छुक अधिकारी उचित माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध– I) में अपने आवेदन भेज सकते हैं ताकि इस परिपत्र के जारी होने की तिथि या रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से **45 दिनों के भीतर,** जो भी स्थिति बाद में हो, सचिव कार्यालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110066 को भेज दें। आवेदन को अग्रेषित करते समय, कृपया यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उम्मीदवारों के विवरण सत्यापित कर लिए गए हैं और वह पात्रता शर्तों को पूरा करते /करती हैं। आवेदन पत्र को अद्यतन एसीआर डोजियर (या समूह, 'क' अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित फोटोकॉपी),

सतर्कता अनापत्ति और पिछले दस वर्षों के दौरान आवेदक पर लगाई गई छोटी/बड़ी शास्ति के विवरण के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए। इन दस्तावेजों के बिना या निर्धारित प्रारूप में प्राप्त न होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. ब्यूरो को किसी भी/सभी आवेदकों के आवेदन को अस्वीकार करने या प्रशासनिक कारणों से किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।

7. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में उप महानिदेशक (वित्त) के कार्य **अनुबंध–II** में दिए गए हैं।

भवदीय,

मिलिंद देवरे

(मिलिंद देवरे)
सचिव

प्रति अनुबंधों सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :

1. अध्यक्ष, सीईई/डीवीसी/बीबीएमबी/सीईआरसी
2. महानिदेशक, एनपीटीआई/सीपीआरआई
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी/पीएफसी/आरईसी/ टीएचडीसी/पीजीसीआईएल/पीओएसओसीओ/एसजेवीएनएल/एनईईपीसीओ
4. परामर्शदाता (आईटी) को बीईई की बेबसाइट पर पोस्ट करने के लिए।

मिलिंद देवरे.

(मिलिंद देवरे)
सचिव

अनुबंध – I

जीवनवृत्त प्रोफार्मा

1.	नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)		
2.	जन्म तिथि (ईसवी सन् में)		
3.	केंद्रीय / राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख		
4.	शैक्षिक अर्हताएं		
5.	क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं। (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित अर्हता के समरूप माना गया हो, तो उसके लिए प्रमाण का उल्लेख करें)	अपेक्षित अर्हताएं / अनुभव	अधिकारी द्वारा प्राप्त अर्हता / अनुभव
		अनिवार्य : (1) (2) (3) वांछनीय : (1) (2)	
6.	ऊपर दी गई प्रविष्टियों के आलोक में कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि आप पद की आवश्यकता को पूरा करते हैं।		
7.	रोजगार का कालक्रमानुसार विवरण। यदि नीचे स्थान पर्याप्त न हो तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित अलग शीट संलग्न करें।		

कार्यालय / संस्थान	धारित पद	से	तक	वेतनमान और मूल वेतन	कार्यों का स्वरूप (विस्तार से)

8.	वर्तमान रोजगार का स्वरूप अर्थात तदर्थ या अस्थायी या स्थायीवत् या स्थायी	
9. i. ii. iii.	यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर धारित है, तो कृपया उल्लेख करें :– प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्ति की अवधि मूल कार्यालय / संगठन का नाम, जिससे आप संबंधित हैं	
10.	वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण कृपया बताएं कि आप कहां कार्यरत हैं (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम बताएं)	

	(क) केंद्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ड) विश्वविद्यालय (च) अन्य	
11.	कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में काम कर रहे हैं या फीडर ग्रेड में हैं या फीडर से फीडर ग्रेड में हैं	
12.	क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हाँ, तो संशोधन की तारीख और संशोधन पूर्व वेतनमान का उल्लेख करें।	
13.	प्रति माह आहरित कुल परिलब्धियां	
14.	आवेदित पद के संबंध में, पद हेतु आपकी उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो (इसके अलावा निम्नलिखित के बारे में सूचना उपलब्ध कराएं : (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (iii) रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन में निर्धारित के अतिरिक्त कार्य अनुभव के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकते हैं) (नोटः स्थान अपर्याप्त होने पर अलग शीट संलग्न करें)	

15.	कृपया उल्लेख करें कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/ आमेलन / पुनः रोजगार के लिए आवेदन कर रहे हैं। (केंद्र / राज्य सरकार के अधीन अधिकारी केवल "आमेलन" के लिए पात्र हैं। गैर–सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल अल्पकालिक संविदा के पात्र हैं)	
16.	क्या आप अनु. जाति / अनु. जनजाति से संबंधित हैं	
17.	टिप्पणी (उम्मीदवार (i) अनुसंधान प्रकाशनों और रिपोर्टों तथा विशेष परियोजनाओं (ii) पुरस्कार / छात्रवृत्ति / आधिकारिक प्रशस्ति (iii) व्यावसायिक निकायों / संस्थानों / समितियों से संबद्धता और (iv) कोई अन्य सूचना। (नोटः यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न करें)	

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित मेरे जीवनवृत्त में प्रस्तुत सूचना का भी पद के लिए चयन के समय चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।

दिनांक ____________________

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पता ______________________________

____

____

प्रतिहस्ताक्षरित

____

____

(नियोक्ता की मुहर)

पद के लिए अपेक्षित कर्तव्य

निष्पादन उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) को लागू करने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत डिज़ाइन किए गए अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित ऊर्जा गहन बड़े उद्योगों और सुविधाओं में एक बाजार आधारित तंत्र की शुरुआत की गई है ताकि ऊर्जा बचत के व्यापार योग्य प्रमाणीकरण द्वारा ऊर्जा दक्षता में सुधार को और अधिक किफायती बनाया जा सके। पीएटी तंत्र अभिहित उपभोक्ताओं (डीसी) को न केवल अधिनियम के तहत उनके कानूनी दायित्वों को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है बल्कि उनके लिए निर्धारित प्रस्तावित मानदंडों और मानकों को पूरा करने के लिए उन्हें आवश्यक बाजार आधारित प्रोत्साहन भी प्रदान करता है।

उप महानिदेशक (वित्त)

ऊर्जा दक्षता को बढावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण विलेखों का लाभ उठाना, विभिन्न क्षेत्रों- कृषि, नगर पालिकाओं, उपकरणों, भवनों आदि में स्वच्छ उन्नयन तंत्र (सीडीएम) की गतिविधियों के कार्यक्रम को बढावा देना; ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में सीडीएम क्षमता की पहचान करना; राष्ट्रीय सीडीएम रोड मैप का कार्यान्वयन; ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ऊर्जा सेवा कंपनियों के लिए बाजार को बढ़ावा देना; ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण मंच का विस्तार और सुदृढ़ीकरण: ईएससीओ बाजारों को बढ़ावा देना, ईएससीओ परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना; निष्पादन अनुबंध संबंधी मुद्दों पर वित्तीय संस्थानों बैंकों और उनकी जनशक्ति का क्षमता निर्माण और जागरुकता; निष्पादन अनुबंधों के दस्तावेज़ों का मानकीकरण; बीईई की योजनाओं के परिणामस्वरूप ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का एकत्रीकरण; ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और प्रसारित करने का अनुभव: आंशिक जोखिम गारंटी फंड (पीआरजीएफ) और ऊर्जा दक्षता के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफईई) का समग्र पर्यवेक्षण; ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपकरणों, प्रोत्साहनों, राजकोषीय उपायों का विकास; इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज/एसडीए/वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के सहयोग से घरेलू/आवासीय/कृषि/जल पंपिंग और स्ट्रीट लाइटिंग क्षेत्रों में डीएसएम कार्यक्रम को बढ़ावा देना। विद्युत उपयोगिताओं/वितरण कंपनियों/क्षमता निर्माण में लोड अनुसंधान अध्ययन करने, बिजली आदि के बड़े उपभोक्ताओं को कवर करने वाली उपयोगिताओं/डिस्कॉम में डीएसएम परियोजनाओं को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए डीएसएम सेल की स्थापना करना आदि।